फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अच[illegible]ण, व[illegible]

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो एस. एल. डांगरोड़े — डेपुटी कलेक्टर प्रबंधक

14250+ भत्ते — July 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		[illegible] द स्वयं के नाम पर न हो तो					नियुक्ति
	गृह तथा अन्य	भूमि	**वर्तमान [illegible]	[illegible]र उस	[illegible]टि [illegible]			
(1)	(2)							
ग्राम-बजाभाई जिला रतलाम	—	सिंचित कृषि भूमि 6.48 एकड़	8 लाख	माँ एवं पत्नि के नाम पर है।	माता पिता ने 1977 में अर्जित की है।	1.50 लाख		नोट ① दिनांक 19.4.07 को श्रीमति एल. एस. डांगरोड़े द्वारा वसीयत से मुझे 5.20 हेक्टर कृषि भूमि एवं 1 पुराना मकान रतलाम में दिया है। प्रकरण राजस्व विभाग रतलाम में मेरे नाम पर दर्ज कराने हेतु विचाराधीन है।
ग्राम-बजाभाई जिला रतलाम	रहवासी घर पीछे खलिहान कुंआ + बाथरूम	—	7 लाख	माँ के नाम पर	क्रय 3.12.1951 मूल्य 1000/- विक्रेता बलवंतराव वामन राव बारहठ	30,000=00		
3 अहिल्या नगर एक्सटेंशन इंदौर	रहवासी घर 20x50 फीट		25 लाख मात्र	स्वयं के नाम पर	फीट 1999 में 257000/- में लिया एवं वर्ष 2003 में बैंक लोन EPF से आहरण 6.50 लाख 3.75 लाख पर मकान बनाया है।	24000=00		② वसीयत 20.9.09 के अनुसार 3 एकड़ जमीन 1 बाग एवं 1 खलिहान भी मुझे फ्री होना है।
4. महबूब नगर कालोनी रतलाम (कोटेश्वर हाजी मस्जिद) से क्रय किया 1982	फीट 30x50 (विवादित है)	—	25,000=00	स्वयं के नाम पर	स्वयं की आय से अर्जित फीट 2.12.1982 को 4500 में क्रय किया कालोनी के बैध होने से विवादित है। क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है	कुछ नहीं		③ IDA की डेडस प्रक्रिया में 1,00,000/- फीट आवंटन हेतु दिया है, आवंटन होने पर मूल्य दान होगा।
नेमेश बाग रोड रतलाम इंदौर	फीट 631 वर्ग फुट		5.50 लाख	पत्नि के नाम पर →	कृषि भूमि की आय से 11.4.02 को 249312=00 में IDA से किश्तों पर लिया गया	कुछ नहीं		

7.5.10

एस. एल. डांगरोड़े

डेपुटी कलेक्टर प्रबंधक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना [illegible]

*** [illegible] अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 [illegible] यह 18(3) के अधीन प्रत्येक [illegible] अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय [illegible] इसके बाद प्रत्येक बारह माह [illegible]